रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1987/ भाद्र 30, 1909
No. 486] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1987/BHADRA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 807(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कोचीन पत्तन के लिये न्यासियों के मंडल द्वारा निर्मित और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित कोचीन पत्तन कर्मचारी (भवन निर्माण इत्यादि के लिये पेशगी अनुदान) संशोधन विनियम, 1987 को अनुमोदन प्रदान करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी डब्ल्यू/पी ई आर-35/85]

पी.एम. अब्राहम, अपर सचिव

कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुदान) का संशोधन विनियम, 1986

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुदान) विनियम, 1971 का और संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुदान) संशोधन विनियम 1986 है।

2. विनियम 3 में वर्तमान नोट को नंबर (1) लगा दें तथा निम्नलिखित नोट नं. (2) के रूप में पढ़ा जाये।

नोट (2) "बोर्ड की सेवा में पुन: नियोजित सेवा विमुक्त सैनिकों के बारे में 10 साल के लगातार सेवा की गणना करने में उनके सैनिक सेवा की अवधि को भी जोड़ दिया जाये बशर्ते कि वे परिवीक्षा समय ठीक तरह से पूरा किया हो।"

3. (क) कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुदान) विनियम 1971 विनियम 4 के उप विनियम (क) में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

(क) निर्माण करने या खरीदने वाले घर या फ्लैट के मूल्य का उच्चतम सीमा निम्नलिखित है । परन्तु घर के संबंध में आवासी फ्लैट का मूल्य इसमें से अपवर्जित है।

(1) कर्मचारी जिसका मूल वेतन 100 महीने के लिये 80,000 रु. तक हो	1,25,000/-
(2) कर्मचारी जिसका मूल वेतन 100 महीने के लिये 80,000 रु. से ज्यादा हो लेकिन 1,70,000 तक	2,00,000/-
(3) कर्मचारी जिसका मूल वेतन 100 महीने के लिये 1,70,000 रु. से ज्यादा हो	3,00,000/-

तथा आवेदक किसी भी प्राधिकारी, पुनर्वास विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के आवास योजना से किसी ऋण या पेशगी इस उद्देश्य के लिये न प्राप्त किया हो बशर्ते कि आवेदक द्वारा वांछित ऋण या पेशगी इस नियम के अधीन उनको मिलने के योग्य से अधिक न होगा। पेशगी के लिये आवेदन देने के लिये वह हकदार है, शर्त है कि उनके हित में जो ऋण या पेशगी शेष है ब्याज सहित सम्बन्धित प्राधिकारी या निकाय को एक मुश्त में दिया जाये ।

(ख) उप विनियम (अ) के बाद निम्नलिखित उप विनियम जोड़ दिया जाये ।

(अ)(1) सहकरण संघ हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता द्वारा घर प्राप्त कर्मचारियों ऊपर (ए) में बताये शर्तों के अनुसार मकान निर्माण के लिये पेशगी लेने के लिये योग्य है । ऐसे कर्मचारी 70,000 रुपये से ज्यादा मकान निर्माण पेशगी के लिये वैयक्तिक बंध पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना है।

(अ) स्वत्वविलेख जमा करने (जब कभी उपलब्ध हो) के साथ साथ घर या फ्लैट बन्धक करने का एक करार भी देना चाहिये।

(आ) निश्चित दर पर ब्याज सहित मूलधन की राशि के लिये वचन पत्र ।

4. विनियम 4 के उपविनियम (ख) में "75 महीने के वेतन" वाक्य के स्थान पर "100 महीने के वेतन" अंकों तथा अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाये ।

5. विनियम 5 के उप विनियम (ख) में "उसके मासिक वेतन के 75 बार" के स्थान पर "मासिक वेतन के 100 बार" अंकों तथा अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाये।

6. विनियम 6 के उप विनियम (ख) में

(1) अंकों तथा अक्षरों के "मासिक वेतन के 75 बार" के स्थान पर "मासिक वेतन के 100 बार" अंकों तथा अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जाये ।

(2) "केन्द्रीय सिविल सर्विस (संशोधित) वेतन नियम 1960" के बाद "एवं परिवार पेंशन" वाक्य जोड़ दिया जाये।

(3) "70,000" तथा "25,000" के स्थान पर 1,25,000 तथा 40,000 क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये।

7. विनियम 6 के उपविनियम (ङ) में निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जाये ।

"निम्नलिखित आधार पर अनिपूर्ति चुकाने की क्षमता परिकलित किया जायेगा ।

शेष रहित सेवा की अवधि	अनिपूर्ति देने का स्लाब
क. 20 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त कर्मचारियों	मूल वेतन के 50%
ख. 10 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त कर्मचारियों लेकिन 20 वर्ष से ज्यादा न हो	मूलवेतन के 60% डी.सी.आर.जी. के 80% भी समायोजित किया जायेगा।
ग. 10 वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्त कर्मचारियों	मूलवेतन के 66 2/3% डी.सी. आर.जी. के 90% भी समायोजित किया जायेगा।"

8. विनियम 87 के उपविनियम (4)(i) में "75" तथा "70,000" के स्थान पर "100" तथा "1,25,000" अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाये ।

9 विनियम 8 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये :—

पेशगी का ब्याज, पेशगी लेने के दिन से साधारण ब्याज के दर पर निश्चित किया जायेगा । हर महीने के अंतिम दिन में जो राशि शेष रह जायेगा, उस रकम पर ब्याज लिया जायेगा ।

इन विनियमों के अनुसार पोर्ट कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान निर्माण पेशगी के ब्याज का दर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर दिये जाने वाले के समान होगा ।

10. विनियम 11(क) के अधीन उप विनियम (5) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये ।

"आवेदक जो विभागीय क्वार्टर्स में रहता है, उन्हें एक वचन पत्र देना है कि वह कोचीन निगम में या उप शहरी क्षेत्र में जो अपने पोर्ट के कार्यास्थल से सड़क से या जल मार्ग से 20 कि.मी. के अन्दर घर बनाया या खरीदा जाये तो वह विभागीय क्वार्टर्स को मकान बनाने या खरीदने के तुरन्त बाद ही खाली कर दिया जायेगा ।

11. विनियम 11 में धारा (1) की उपधारा (च) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(1) भूमि या भवन एवं परिसर, यथाप्रसंग, का क्रय होते ही स्वत्व विलेख जमा करके बन्धक के उत्तरदायित्व निभाना है एवं दस्तावेज की सुरक्षित परिरक्षा की जायेगी।"

नोट : मकान निर्माण अग्रिम अनुदान के संबंध में सभी पिछले मामले जिसमें स्वत्व विलेख जमा करके साम्यिक बन्धक का उत्तरदायित्व निभाना इस उप धारा के अन्दर आ जायेगा परन्तु जिस मामले में बन्धक स्वत्व का पंजीकरण हुआ है वह आगे देखने की जरूरत नहीं ।

12. विनियम के फार्म सं. 1 के स्थान पर परिशिष्ट-II में संलग्न फार्म प्रतिस्थापित किया जाये।

पाद टिप्पणी :

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के 12 जुलाई, 1971 के पत्र सं. 6 पी ई (10)167 के अनुसार मुख्य विनियमों का अनुमोदन किया तथा 14-9-1971 के केरल के राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशित किया था।

फार्म नं. 1

सेवा में

अध्यक्ष
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट,
कोचीन-682 009

प्रिय महोदय,

मुझे भूमि खरीदने और भवन निर्माण/भवन निर्माण/भूमि सहित मकान की तत्काल बिक्री/वर्तमान भवन आवास का परिवर्धन, उद्देश्य के लिये अग्रिम देने को सम्मत रुपया .... ब्याज सहित कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को देय होने के कारण कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के पक्ष में न्यायानुकूल बन्धक बनने के आशय से निम्न दस्तावेजें आप के साथ .... पर कोचीन नगर में विलिङ्गडन ऐलन्ड में जमा रखके पुष्टि करता हूं।

दस्तावेजों की सूची

1.

2.

3

भवदीय

(पदनाम)

सम्बद्ध कार्यालय

स्थान :

दिनांक :

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, 21st September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port TrustsAct, 1963(38of 1963), the Central Goverment hereby approved the Cochin Port Employees (Grant of advances for building of Houses etc.) Amendment Regulatins, 1987 made by the Board of Trustees forthe Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PW/PER-35/85]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy

COCHIN PORT EMPLOYEES (GRANT OF ADVANCES FOR BUILDING OF HOUSES ETC. (AMENDMENT REGULATIONS 1986.)

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) Cochin Port Trust Board hereby makes the following Regulations further to amend Cochin Port Employees (Grant of advances for building of houses etc.) Regulations, 1971 namely :—

1. TheseRegulations may be called the "Cochin Port Employees (Grant of Advances for building of houses etc.) Amendment Regulations ,1986".

2 In Regulation 3, the existing Note may be renumbered as (1) and the following may be added as Note (2)—

NOTE (2) : "in the case of Ex-servicemen re-employed in Board's service, the military service rendered by them shall also be taken into account for reckoning the period of ten years continuous service, provided they have completed probationary period satisfactorlly."

3. (a) In the Cochin Port Employees (Grant of advances for building of Houses etc.) Regulations, 1971 for sub-regulation (a) of Regulation 4, the following shall be substituted :—

(a) The cost of the House or at to be built/purchased excluding the cost of residential flat in the case of a house shall be within the following ceiling limits :-

(i) For employees whose basic pay for 100 months is upto Rs 80,000 —Rs. 1,25,000/-

(ii) For employees whose basic pay for 100 months exceeds Rs. 80,000 but is upto Rs. 1,70,000 Rs. 2,00,000/-

(iii) For employees whose basic pay for 100 months exceeds Rs. 1,70,000/- Rs. 3,00,000/-

and the applicant should not have availed of any loan or advance for the purpose from any other authority or body such as the Deptt. of Rehabilitation or a Central or a state Housing Scheme provided, that where the loan or advance already availed of by an applicant does not exceed the amount admissible under these rules, it is open to him to apply for an advance under these rules subject to the condition that he undertakes to repay the outstanding loan or advance together with interest if any thereon forthwith, in one lumpsum to the authority or body aforesaid.

(b) After sub-regulation (a) the following sub-regulation shall be inserted :—

(a) "(i) Employees who acquire houses through membership of cooperative Group Housing Societies shall also be eligible for grant of HBA upto the limit as in (a) above. Such employees shall however be required to furnish the following documents in addition to personal Bond for drawing House Building Advance beyond the limit of Rs. 70,000/-

(a) An agreement to mortgage the house or flat followed by deposit of title deeds (as and when available);

(b) Promissory Note in respect of the amount of the principal plus interest at the specified rates."

4. In sub-regulation(b) of Regulation 4, the words "Seventy five months Pay" shall be substituted by the words and figures "Pay for 100 months"

5. In sub-regulation (b) of Regulation 5, the words "Seventy five times his monthly pay" shall be substituted by the words and figures "100 times monthly pay."

6. In sub-regulation (b) of Regulation 6

(i) The words and figures "75 times the monthly pay" shall be substituted by the words and figures "100 times monthly pay."

(ii) The words "and family pension" shall be inserted after the words "Central Civil Service (Revised) Pay Rules, 1960."

he figures "70,000/- and 25,000/-"shall be substituted e figures 1,25,000/- and 40,000/-respectively.

7. Sub-Regulation (e) of Regulation 6 shall be substituted by the following :—

"The repaying capacity will be computed on the following basis.

Length of remaining service	Slab of repaying capacity
(a) Officials retiring after 20 years.	50% of the basic pay
(b) Officials retiring after 10 years but not later than 20 years	60% of the basic pay. 80% of the DCRG may also be adjusted.
(c) Officials retiring within 10 years.	66⅔% basic pay 90% of DCRG may also be adjusted."

8. In sub-regulation (4) (i) of Regulation 7, the figures "75" and "70,000/-" shall be substuted by the figures "100" and "1,25,000/-"respectively.

9. Regulation 8 shall be substituted by the following :—

Interest on advance shall carry sample interest from the date of advance. The amount of interest shall be calculated on the balance outstanding on the last day of each month.

The rate of interest on House Building advance granted to the Port employees under these Reglations will be the same as made applicable by the Central Government to its employees for this purpose from time to time.

10. The following shall be inserted as sub-regulation -(v) under Regulation 11 (a).

"An undertaking from an applicant who has been allotted Departmental quarters and also wants to construct or purchase a house within the limits of Cochin Corporation including the sub-urban area coming within 20 Kilometres bythe shortest route by road and or water from his normal place of duty in the Port, to the effect that he/she will vacate the Departmental Quarter immediately on purchase of house or on completion of construction of the house as the case may be."

11. In Regulation 11, for clause (i) of sub-regulation (f) the following shall be substituted :-

"(i) The prescribed charge by way of mortgage by deposit of Title deeds is created immeditely on purchase of land or the house and permises, as the case may be, and documents kept in safe custody."

Note : All the past cases in which-charge by way of equitable mortgage by deposit of title deeds has been created in respect of House Building Advance sanctioned will come within the purview of this subclause and the cases where mortage deeds have been registered shall not be re-opened.

12. Form No. 1 of the Regulations shall be substituted by the Form attached in Appendix-II

FOOT NOTE : The principal Regulations were approved vide Ministry of Shipping & Transport Letter No. 6-PE(10)/67 dated 12th July, 1971 and the notification was published in the Kerala Gazette dated 14-9-1 971.

FORM NO-I

To

The Chairman,
Cochin Port Trust,
COCHIN-682 009.

Dear Sir,

I Confirm having deposited with you at Willingdon Island in the city of Cochin on.....the following documents with intent to create equitable mortgage in favour of the Cochin Port Trust Rs..... (Rupees.....) together with interest due to the Cochin Port Trust being the amount agreed to be advanced to me for the purpose of (Puchase of land and construction ofbuilding/construction of building/ outright purchase of a building with land/enlarging living accommodation of existing house).

LIST OF DOCUMENTS

1.
2.
3.

Yours faithfully,

Place :
Date :

(Designation
....office to which attached)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987